

पाकिस्तान में हिंदू व ईसाई परिवारों के घर किए गए धर्म, सड़कों पर फेंका गया सामान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपिण्डी में अधिकारियों ने हिंदू और एक ईसाई परिवार के घरों को धस्त कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये परिवार पिछले 70 वर्षों से इस इलाके में रह रहे थे। सूत्रों के अनुसार, 27 जनवरी को राष्ट्रपिण्डी के छानने क्षेत्र में कम से कम चार घरों को तोड़ा गया, जो एक हिंदू परिवार, एक ईसाई परिवार और शियाओं के थे। उनका सामान गोली की सड़कों पर फेंका दिया गया। हिंदू परिवार को पास के एक मंदिर में शरण लेने के लिए मज़बूर किया गया, जबकि ईसाई परिवार और शिया बिना किसी आश्रय के रहने का मजबूर है। सूत्र बताते हैं कि पीढ़ीत परिवारों ने अदालत से रटे ऑडर लेने की कोशिश की, लेकिन आधिकारियों ने बेल प्रयोग कर उनके घरों को तोड़ा दिया। एक हिंदू पीढ़ीने कहा है कि वे माफिया हैं और कम से कम 100 लोगों के समूह में आए थे। उन्होंने स्वेच्छा परिवारों की पास की दिया, हम पर हमारा भी किया द्योकि हमने उनका मुकाबला करने की कोशिश की। वे इन्हें शक्तिशाली हैं कि पुलिस रट्टेशन में कोई राष्ट्रमिती दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा, कहाने एक अदालत में उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन छानने वाले पोस्ट के एक न्यायाली नीदी अखत है, जो उनका पक्ष लेते हैं। हमारे पास सभी कागजात थे याकौं 70 से अधिक वर्षों से रख रहे हैं। उन्होंने पास नहीं है क्यों हमें नोटिस दिया और अपने घरेलू सामान को बचाने के लिए समय नहीं दिया। हमारे पास परिवार को मंदिर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान में अत्यंत संख्याकांक्षा के उपर्युक्त पर सरकार, पुलिस और यहां तक? ? किन्तु न्यायपालिका भी मूकदर्शक बनी हुई है।

चीन के उत्तरपश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में भूकंप के जोरदार झटके

बीजिं। उत्तरपश्चिमी चीन के एक दूरस्थ इलाके में सोमवार को सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। चीन की अधिकारिक शिन्जुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, भूकंप के बाद जन-माल के नुकसान की फिलहाल कोई खरर नहीं है। भूकंप सुबह सात बजकर 49 मैन्ट पर आया। सरकारी प्रसारणकान्ती सीसीटीवी ने फुटेज जारी किए जिसमें एक ड्राइवर अड्डे से लोगों का निकाले हुए देखा गया। चीन का अर्थकृत नेटवर्क सेटर ने भूकंप की तीव्रता 6.1 तीव्रती की तीव्रता 5.7 तीव्रती। संसाधन संपर्क शिनजियांग, चीन के भूकंप के तीव्रता से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। हाल में चीन में सबसे खतरनाक भूकंप 2008 में शिंचुआन प्रांत में आया था जिसमें करीब 90,000 लोगों की मौत हो गयी थी। सिंचुआन प्रांत शिनजियांग के दक्षिण में स्थित है।

अब इस खाड़ी देश ने कर दी शहबाज की भारी बेइज्जती राष्ट्रपति को करना था इस्लामाबाद का दोरा, 'खराब मौसम' को बजाह बता किया रहा

इस्लामाबाद। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति और अब धारी के शासक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल नाहियान ने खराब मौसम की स्थिति के कारण इस्लामाबाद की अपनी अधिकारिक यात्रा रद्द कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति आज अपने देश लौट आये और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को जयद ही एक और दौरे का आश्वासन दिया है। अधिकारिक बयान में कहा गया कि मौसम की स्थिति के कारण राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अब नाहियान की पाकिस्तान के अनुकूल इस्लामिक यात्रा की ओर आया गया है। हालांकि उन्होंने अपनी अपीली यात्रा को लिए स्थानिक निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने अपीली यात्रा को लिए स्थानिक निर्दिष्ट नहीं किया गया है।



पाकिस्तान में एक बस हादसे के खिलाफ राहत के काम में लगे लोग।

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल-केरोसीन गरीबों की पहुँच से दूर, वित्त मंत्री डार ने कहा- देश अब अल्लाह के भरोसे

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को भूमिका नहीं है। भूमिका सुबह सात बजकर 49 मैन्ट पर आया। सरकारी प्रसारणकान्ती सीसीटीवी ने फुटेज जारी किए जिसमें एक ड्राइवर अड्डे से लोगों को निकाले हुए देखा गया। चीन का अर्थकृत नी

खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी

मेरे चिन्तन से कोई भी कार्य सही नहीं हो रहा है या जहाँ गलत पे गलत हो रहा है सब मूक दर्शक बने हुए हो व दोनों को सामने तो सही पीछे गलत कह रहे हो तो हम कह देते हैं की पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं की गागर में सागर समाया शब्दों का सिन्धु। सीमित सारांभित शब्दों की शीतलता का अहसास है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जनप्रिय व्याकि बोहे हैं। जो सबसे ज्यादा आप शब्द का उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का उपयोग करते हैं। कम शब्दों में अपनी बात समझाने वाला ही कुशल बक्ता है। जो तथ्य हीन संभाषण करता है वह केवल बक्ता है। सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी भाव भंगिमा से किसी भी बात को सही अर्थ में समझाने की कूवत रखता है।

जैसे - किसी के असाध्य बीमारी है वो शरीर को क्षीण कर चुकी है अन्तिम घड़ी निकट है, दुर्घटना हुई सामने वाले के जीवन की अन्तिम घड़ी सामने दिख रही है, बुद्धापा है सामने दिख रहा है आउखे की घड़ीयाँ कब आ जायेगी। आदि - आदि। इस तरह कुछ शब्दों में कह देता है ऐसी बात कि बदल जाता है जीवन का नजरिया भी और रवैया भी। यह उत्तर जाती है बात इतनी गहराई तक दिल में कि मन करता रहता है चिन्तन उसी पर दिन और रात। तभी हम कह देते हैं की खतरे के निशान से ऊपर बहने लग गया है पानी।



प्रदीप छाजेड़
(बोरावड़)

निःसंदेह केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत छोटे करदाताओं और मध्यम वर्ग की मुटिकलों के बीच आयकर के नये प्रारूप वाले टैक्स स्लैब के पुनःनिर्धारण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसदी टैक्स लागू करता है। जबकि, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 10 फीसदी और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स लागू होता है। इसी तरह 10 लाख रुपये से एक फीसदी टैक्स लागू होता है।

जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों एक फरवरी को केंद्रीय नियमिता निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की ओर देश के छोटे करदाताओं और मध्यम वर्ग के लोगों की नियाहे लागू हुई हैं। उमीद की जहाँ ही है कि वित्त मंत्री ने बदल के माध्यम से इस वर्ग की क्षयकश के बदलकर मांगे वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने की रणनीति पर आगे बढ़ते हैं। यह दिखाई दे सकती है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में वित्तमंत्री ने कहा था कि मैं भी मध्यम वर्ग से ताकूर सरकारी हूं। इसलिए मध्यम वर्ग के दबाव को समझ सकती हूं। चूंकि एक्षेत्र वर्ष 2022-23 के बजट में इस वर्ग को कोई बद्दी राहत नहीं मिली थी और अब महामारी के कारण दो साल की मददी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था इकिवरी के रास्ते पर चल पड़ी है, साथ ही पिछली कुछ तिमाहीयों में कर संग्रह में लगातार बढ़ती रही थी देखी गई है। इसके साथ-साथ इस बार का बजट लोकसभा चुनाव 2024 के पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में सरकार द्वारा आगामी बजट में टैक्स का बदल करने के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित किए जा सकते हैं। निःसंदेह केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत छोटे करदाताओं और मध्यम वर्ग के लोगों के मुश्किलों के बीच आयकर के नये प्रारूप वाले टैक्स स्लैब के पुनःनिर्धारण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसदी टैक्स लागू करता है। जबकि, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 10 फीसदी और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स लागू होता है। इसी तरह 10 लाख रुपये से एक फीसदी टैक्स लागू होता है। 10.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की कुल आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लागू होती है। जो अधिकरता आयकर के पुनःनिर्धारण के बाद विविध टैक्स छोटे में वृद्धि की जानी जरूरी है। दरअसल, मोजूदा समय में धारा 80सी के मूलधन भुगतान भी शामिल है। मकानों की बद्दी हुई कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत छोटे करदाताओं और मध्यम वर्ग की बद्दी राहत नहीं होती है।

हुए धारा 80सी के तहत 1.50 लाख की छोट पर्याप्त नहीं है। कोई व्यक्ति 1.50 लाख की छोट यदि होम लोन के मूलधन पर ले लेता है तो उसके पास अन्य जरूरी विवरण पर छोट लेने का विकल्प नहीं बचता है। अतः वर्ष 2023-24 के बजट में घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मंदेजनर सरकार को होम लोन के ब्याज पर टैक्स छोट को बदाना चाहिए और होम लोन के ब्याज रीपैसेट पर भिलने वाले बैनिफिट की लिमिट को दो लाख रुपये से बदाकर घर लाख रुपये किया जाना उपयोग होगा। होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को बदाने से मकानकीं बिक्री में तेजी आने की संभावना होगी। वर्तमान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये से अधिक है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 5 लाख रुपये है। ऐसे में आगामी बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी आयकर छोट सीमा को संवाधित करना जरूरी है। इसमें पति/जनकी, बच्चों समेत खुद को पालिंसी पर जमा विवरण गया था। तब से इस कटौती सीमा को नहीं बदला गया है। इसी तरह सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बदाना चाहिए। अभी इस धारा के तहत 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स डिवर्शन लेने का विवरण किया जाता है। इसमें पति/जनकी, बच्चों समेत खुद को पालिंसी पर जमा विवरण गया था। अगर मायापिता विवरण की श्रीणि में आते हैं और उनका प्रीमियम भरते हैं तो 50,000 रुपये तक का टैक्स लागू करने के लिए है। बुद्धवस्था में चिकित्सा व्यय में आपातक विवरण की बीच विशेष रुप से घातक कोविड-19 महामारी के बाद वरिष्ठ नागरिकों को कुछ और कर राहत मिलनी चाहिए। विवरण नागरिक स्वास्थ्य विवरण की प्रीमियम की कटौती को मूजूदा 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसदी टैक्स लागू करता है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय 2.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की कुल आय पर 20 फीसदी टैक्स लागू होता है। जबकि, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 30 फीसदी टैक्स लागू होती है। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के एक बड़े वर्ग के पास आय को आपातक विवरण सुनिश्चित नहीं है। सामायतरा व्यय में आपनी छोटी बदल और मायापिता विवरण की श्रीणि में आते हैं और उनका विवरण नागरिक स्वास्थ्य विवरण की बीच विवरण की श्रीणि में स्वास्थ्य विवरण की श्रीणि में आते हैं और उनका विवरण नागरिक स्वास्थ्य विवरण की बीच विवरण की श्रीणि में आते हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये से अधिक है, के लिए बुनियादी आयकर छोट सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु है, के लिए बुनियादी आयकर छोट सीमा 5 लाख रुपये है। ऐसे में आगामी बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये है। अतः वर्ष 2023-24 के बजट में घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मंदेजनर सरकार को होम लोन के ब्याज रीपैसेट पर भिलने वाले बैनिफिट की लिमिट को दो लाख रुपये से बदाकर घर लाख रुपये किया जाना उपयोग होगा। होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को बदाने से मकानकीं बिक्री में तेजी आने की संभावना होगी। वर्तमान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 5 लाख रुपये है। ऐसे में आगामी बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये है। अतः वर्ष 2023-24 के बजट में घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मंदेजनर सरकार को होम लोन के ब्याज रीपैसेट पर भिलने वाले बैनिफिट की लिमिट को दो लाख रुपये से बदाकर घर लाख रुपये किया जाना उपयोग होगा। होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को बदाने से मकानकीं बिक्री में तेजी आने की संभावना होगी। वर्तमान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 5 लाख रुपये है। ऐसे में आगामी बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये है। अतः वर्ष 2023-24 के बजट में घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मंदेजनर सरकार को होम लोन के ब्याज रीपैसेट पर भिलने वाले बैनिफिट की लिमिट को दो लाख रुपये से बदाकर घर लाख रुपये किया जाना उपयोग होगा। होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को बदाने से मकानकीं बिक्री में तेजी आने की संभावना होगी। वर्तमान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 5 लाख रुपये है। ऐसे में आगामी बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये है। अतः वर्ष 2023-24 के बजट में घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मंदेजनर सरकार को होम लोन के ब्याज रीपैसेट पर भिलने वाले बैनिफिट की लिमिट को दो लाख रुपये से बदाकर घर लाख रुपये किया जाना उपयोग होगा। होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को बदाने से मकानकीं बिक्री में तेजी आने की संभावना होगी। वर्तमान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु है, के लिए मूल कर छोट की सीमा 5 लाख रुपये है। ऐसे में आगामी बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल कर छोट की सीमा 3 लाख रुपये है। अतः वर्ष 2023-24 के बजट में घर खरीदने के

